

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक-एफ 5(प)(32)एसीटीएडी/माडा/275(1)अजमेर/2019-20/

दिनांक-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
अजमेर।

विषय- पेयजल निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 10307-13 दिनांक 23.02.2019 द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से निम्नांकित कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, के आधार पर कॉलम संख्या-7 अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

कार्यकारी एजेन्सी- ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
				क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि
1	2		3	4	5	6	7
1	सिंगल फेज नलकूप मय टंकी की स्थापना महादेवजी के स्थान के पास, चीतीवास	चीतीवास	केकडी	10307-13/ 23.02.2019	2.80	456/ 10.12.2019	2.80
2	सिंगल फेज नलकूप मय टंकी की स्थापना, भील मोहल्ला (महादेवजी के स्थान), चीतीवास	चीतीवास	केकडी	10307-13/2 3.02.2019	2.80	456/ 10.12.2019	2.80
3	सिंगल फेज नलकूप मय टंकी की स्थापना तेजाजी के स्थान के पास, पीपल्या	चीतीवास	केकडी	10307-13/2 3.02.2019	2.80	456/ 10.12.2019	2.80
	योग						8.40

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या- 103 वर्ष 2019-20 से प्राप्त राशि रूपये 250.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कार्यों के संपादन में निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- सिंगल फेज नलकूप मय टंकी की स्थापना का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारम्भ कराया जावे। प्रस्तावित कार्यों से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
- कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकनीकी एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यदेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

5. कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
8. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन, 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
9. निर्माण पश्चात् संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तान्तरित की जावे।

//
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय) I.A.S.
आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर

क्रमांक—एफ 5(प)(32)एसीटीएडी/माडा/275(1)अजमेर/2019-20/15043-52 दिनांक-17.7.2020
प्रतिलिपि—

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अजमेर।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन परियोजना अधिकारी (माडा) जिला परिषद, अजमेर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि संविधान की धारा 275 (1) अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या 103 वर्ष 2019-20 द्वारा पेयजल निर्माण हेतु प्राप्त राशि 250.00 लाख रु में से जिला परिषद, अजमेर को राशि 8.40 लाख रु हस्तान्तरित करावे।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, केकडी, जिला अजमेर।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

10
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)